न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 256/2017/225 आरटीए

1. जगदीश पुत्र वीरसिंह पौत्र सदुराम जाति धानक निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. रोहताश पुत्र वीरसिंह पौत्र सदुराम जाति धानक निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. धोलूराम पुत्र वीरसिंह पौत्र सदुराम जाति धानक निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. बनवारीलाल पुत्र सदुराम जाति धानक निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलान्टस

–: बनाम :–

1. नानकौर पुत्री खेमा पत्नि नेकीराम (फौत)।

1/1 प्रमेश्वरी पुत्री नानकौर जाति धानक निवासी चैनपुरा छोटा तहसील राजगढ़ जिला चरू।

1/2 रामप्यारी पुत्री नानकौर जाति धानक निवासी चैनपुरा छोटा तहसील राजगढ़ जिला चरू।

1/3 इन्द्रो पुत्री नानकौर जाति धानक निवासी चैनपुरा छोटा तहसील राजगढ़ जिला चरू।

1/4 राजकुमार पुत्र नानकौर जाति धानक निवासी चैनपुरा छोटा तहसील राजगढ़ जिला चरू।

1/5 भूपसिंह पुत्र नानकौर जाति धानक निवासी चैनपुरा छोटा तहसील राजगढ़ जिला चरू।

1/6 धर्मपाल पुत्र नानकौर जाति धानक निवासी चैनपुरा छोटा तहसील राजगढ़ जिला चरू।

1/7 रेशमा पुत्री नानकौर जाति धानक निवासी चैनपुरा छोटा तहसील राजगढ़ जिला चरू।

1/8 महावीर पुत्र नानकौर जाति धानक निवासी चैनपुरा छोटा तहसील राजगढ़ जिला चरू।

1/9 हनुमान पुत्र नानकौर जाति धानक निवासी चैनपुरा छोटा तहसील राजगढ़ जिला चरू।

–– असल रेस्पोडेंटस

2. बलराम पुत्र वीरसिंह पौत्र सदुराम जाति धानक निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. सुवटी पत्नि वीरसिंह पुत्रवधु सदुराम जाति धानक निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. कल्लो पुत्री वीरसिंह पौत्री सदुराम पत्नि महावीर जाति धानक निवासी श्योराटाडा हाल साहुवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. संदीप पुत्र बिमला पुत्री वीरसिंह जाति धानक निवासी श्योराटाडा हाल राखी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. कुलदीप पुत्र बिमला पुत्री वीरसिंह जाति धानक निवासी श्योराटाडा हाल राखी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. सुनिता पुत्री बिमला पुत्री वीरसिंह जाति धानक निवासी श्योराटाडा राखी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. पुजा पुत्री रोशनी पुत्री वीरसिंह जाति धानक निवासी साहुवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
9. चन्द्रो पुत्री सदुराम पत्नि रूपराम जाति धानक निवासी खोपड़ा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. सरबती पुत्री सदुराम पत्नि मालाराम जाति धानक निवासी टिडियासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
11. रेशमा पुत्री सदुराम पत्नि रामस्वरूप जाति धानक निवासी टिडियासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
12. फुला पुत्र सुन्दल (फौत)

12/1 केशर पत्नि फुलाराम जाति धानक निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

12/2 रामकुमार पुत्र फुलाराम जाति धानक निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

12/3 बिहारी पुत्र फुलाराम जाति धानक निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

12/4 मदन पुत्र फुलाराम जाति धानक निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

12/5 मांगेराम पुत्र फुलाराम जाति धानक निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

12/6 गुड्डी पुत्री फुलाराम पत्नि साहबराम जाति धानक निवासी कुम्हारिया तहसील सिरसा जिला सिरसा हरियाणा।

12/7 कोयल पुत्री फुलाराम पत्नि सुभाष जाति धानक निवासी रामगडिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

12/8 ज्ञानादेवी पुत्री फुलाराम पत्नि सुरेन्द्र जाति धानक निवी रामगडिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

12/9 चमेली पुत्री फुलाराम पत्नि सुभाष जाति धानक निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

12/10 सीता पुत्री फुलाराम पत्नि बलवीर जाति धानक निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

13. जीता पुत्र सुन्दल जाति धानक निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
14. छोटू पुत्र सुन्दल जाति धानक निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—— रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 09.06.2015 न्यायालय सहायक कलैक्टर भादरा

प्र0सं0 288/2013 अनवानी नानकौर बनाम जगदीश आदि

श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता अपीलाण्टस

श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांक —25.06.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 वादिया ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए प्रस्तुत करते हुए इसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश कर वादग्रस्त भूमि को रहन, बैय एवं मुन्तकिल न करने का अनुतोष चाहा। गैरसायल ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो से इन्कार किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.12.13 को जारी अन्तरिम आदेश को अपीलाधीन आदेश के जरिये ताफैसला वाद कन्फर्म किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली मे बिना बहस सुने ही अभियान कैम्प मे प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पूर्व मे जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म कर दिया। रेस्पो0 नानकौर के पिता खेमा के भाई सुन्दल व सदुराम होते थे, खेमाराम की मृत्यु सम्वत 2009 मे हो चुकी थी तथा सुन्दल पहले से स0 1998 मे अपने भाईयों से अलग होकर रहने लगा था इसलिये गांव कोटवाली बेगारी का काम सदुराम किया करता था जो बेगार प्रथा का अन्त होने तक करता रहा इसलिये मौजूदा खाता सं. 27/26 वाली खसरा नं. 11 की 17.16 बीघा, खसरा नं. 44 की 2.18 बीघा तथा खसरा नं. 240 की 45.15 बीघा इस प्रकार 66.09 बीघा अकेले सदु पुत्र सुखराम के नाम दर्ज हुई और बेगारी समाप्त होने पर उसके नाम खातेदारी स्वीकार हुई। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम मे पुत्रियों का हक सन् 1956 मे स्वीकार किया गया

था। रेस्पो0 के पिता की मृत्यु सम्वत 2009 यानि 1952 को हो चुकी थी इसलिये मृतक की कुल खातेदारी हक मृतक के जीवित भाई सदू को विरासतन मे मिली उसी का कब्जा काश्त था। रेस्पो0 का वादग्रस्त भूमि मे कोई हक व हिस्सा नही है। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे कथन किया कि पत्रावली पेशी मे नही आने पर जानकारी चाही तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बताया गया कि आपकी पत्रावली सहवन से नानकौर बनाम रामचन्द्र पत्रावली के स्थान पर दिनांक 11.02.2016 को राजस्व मण्डल अजमेर भिजवायी जा चुकी है जिसको वापिस मंगवाने के लिए न्यायालय द्वारा काफी समय तक पत्र पत्राचार किया उसके बाद पत्रावली वापिस आने के बाद नकल प्राप्त कर वकील से सम्पर्क किया तो निर्णय के खिलाफ अपील पेश करने बाबत बताया गया। निर्णय की जानकारी होते ही बिना किसी अपील पेश की जा रही है। अपील ज्ञान से अन्दर मियाद मानी जावें। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि तहसील भादरा के सम्वत 2009 के खतौनी मौजा श्योराटाडा मे खाता सं. 16/16 मे खेमा, सन्दल पि. सुखराम, श्योराम के नाम 129 बीघा बारानी खातेदारी भूमि हुआ करती थी। उपरोक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे श्योराटाडा की जमाबंदी सम्वत 2070–73 मे खाता सं. 27/26 के खसरा नं. 11, 44, 240 की 16.8070 है0बारानी भूमि दर्ज हुई व इसी प्रकार खाता सं. 28/27 के खसरा नं. 122, 149, 229, 245 मे कुल 12.7470 है0 बारानी मे परिवर्तित होकर आई जो गैरसायल स. 1 ता 6, 11 ता 17 एवं 7 से 10 के मौरूसी के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है। उपरोक्त कुल 29. 554 है0 भूमि पैतृक दादालाई भूमि है जो रेस्पो0 के पिता खेमा व उसके भाई सदू व सुन्दल तीनो की बहिस्सा बराबर भूमि हुआ करती थी। रेस्पो0 पिता खेमा का देहान्त हो

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चुका है एवं रेस्पो0 की माता शांति का देहान्त भी हो चुका है और रेस्पो0 खेमा की एक मात्र पुत्री व जायज वारिस है। अपीलांट व अन्य रेस्पो0 ने मौरूसी सुन्दल व सदू ने तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों से साज बाज करते हुये रेस्पो0 के पिता खेमा को लावल्द फौत दिखाते हुए कुल भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली है। जबकि रेस्पो0 के पिता खेमा की भूमि की एक मात्र वारिस रेस्पो0 है। जिसकी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर इसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए बाबत वादग्रस्त भूमि को रहन, बैय एवं मुन्तकिल ना करने का प्रस्तुत किया गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.12.13 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई और दिनांक 09.06.2015 को उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद कन्फर्म किया गया है जो सही है। वादग्रस्त भूमि मे रेस्पो0 का हक हिस्सा निहित है परन्तु वादग्रस्त भूमि अपीलांट व अन्य रेस्पो0 के नाम दर्ज होने के कारण उक्त भूमि को रहन, बैय या अन्य तरीके से मुन्तकिल कर सकते है जिससे रेस्पो0 को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत इसके साथ प्रार्थना पत्र 212 आरटीए प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि के संबंध मे अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये पूर्व मे जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद कन्फर्म किया गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि अपीलांट एवं अन्य रेस्पो0 के नाम दर्ज है जिसे अन्तरिम आदेश के द्वारा वादग्रस्त भूमि को रहन, बैय या मुन्तकिल ना करने एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया था जिसे अपीलांट को बिना सुने तथा बिना कोई विवेचन किये तथा लोक अदालत कैम्प मे

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ताफैसला कन्फर्म किया गया है। जबकि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के विहित प्रावधानो के अनुसार तीनो बिन्दूओ प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति को तय किया जाना आवश्यक है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तीनो पर बिना कोई विवेचन किये अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद कन्फर्म किया गया उचित नही है एवं विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतो के प्रतिकूल है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण एवं विधिसम्मत नही होने के कारण पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायोचित नही होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2015 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विस्तृत विवेचन करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.07.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official